न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 05/2019 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— लोकेन्द्रसिंह पुत्र श्री ब्रजेन्द्रसिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी गांव पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू

——— अपीलान्ट

— बनाम —

स्टेट ऑफ राजस्थान।

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री तेजकरणसिंह — अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्रसिंह — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 22.10.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति. जिला मजिस्ट्रेट, चूरू के आदेश दिनांक 06.03.2018, जिसमें अपीलांट के नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जाने की सूचना प्रेषित की गयी, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष दिनांक 30.12.16 को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र के कॉलम सं. 16 व आवेदन पत्र के साथ फोटोग्राम नहीं लगाने पर आक्षेपों की पूर्ति हेतु अपीलान्ट के निमित पत्रांक 252 दिनांक 16.1.17 जारी किया गया, किन्तु आक्षेपों की पूर्ति नहीं करने पर जिला मजिस्ट्रेट चूरु द्वारा अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 27.2.18 को निरस्त कर पत्र क्रमांक 1465 दिनांक 6/7.3.18 के द्वारा अपीलान्ट को सूचना प्रेषित की गयी कि "प्रकरण का परीक्षण करने पर पाया कि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज शामिल नहीं है, जिससे यह ज्ञात होता हो कि आवेदक के जीवन को खतरा है। ऐसी स्थिति में आपका आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया गया है। तद्नुसार सूचना प्रेषित है।" उक्त सूचना पत्र से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।
3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.3.18 के विरुध्द

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 26.3.19 को प्रस्तुत की गयी है । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के लिए धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तत किया गया है । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के सम्बन्ध में धारा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में जो कारण अभिलिखित किये गये हैं, उन्हें सही मानते हुए न्यायहित में विलम्ब को कन्डोन कर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस दिनांक 16.10.19 में कथन किया कि अपीलांट अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर कोई जांच नहीं करवाई गयी । अपीलांट के खिलाफ किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं है, ना ही अपीलांट आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है। अपीलांट शांति प्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य व सामग्री नहीं है, जिससे अपीलांट किसी आयुध या गोला बारूद को अर्जित करने, अपने कब्जे में रखने या वहन करने से उस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत विधि द्वारा प्रतिसिद्ध है, या विकृतचित का है, या इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के लिये किसी कारण से अयोग्य हो उसके बाद भी आदेश जेर अपील पारित करने में अदालत मातहत ने कानूनी भूल की है। अपीलाधीन आदेश में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसमें कि अपीलान्ट द्वारा अनुज्ञप्ति की शर्तो में से किसी शर्त का उल्लंघन किया गया हो । अपीलांट गांव पडिहारा तहसील रतनगढ जिला चूरू का मूल निवासी है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उसे शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु दिये गये कारणों के संबंध में समुचित साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने में असफल रहा है। आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में अपीलांट ने कोई ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलांट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिये जाने के संबंध में आक्षेपों की पूर्ति अपीलान्ट द्वारा नहीं किये जाने से अपीलाधीन आदेश में लिये गये आधार उचित है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस को मध्यनजर रखते हुए अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। प्रकरण अनुसार अपीलांट नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस में मुख्य कथन किया है कि अपीलांट के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, ना ही वह आपराधिक पृष्ठभूमि का है। वह गांव पडिहारा तहसील रतनगढ

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिला चूरू का मूल निवासी है। परन्तु अपीलांट यह साबित करने में असफल रहा है कि उसके जीवन को खतरा है। विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त कथनों से भी हम सहमत हैं कि आवेदक के जीवन को खतरा सम्बन्धी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में अपीलांट ने कोई ठोस साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष भी प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं समझते हैं। अतः जिला मजिस्ट्रेट, चूरु के आदेशानुसार अपीलान्ट के निमित जारी किया गया आदेश दिनांक 06/07.03.2018 को यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 22.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2019.11.14 17:46:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: